(ग) उक्त विश्वविद्यालय में 150 व्यक्तियों को 6 माह तक दैनिक मजदूरी पर रखे जाने और बाद में उन्हें सेवा से हटाये जाने के क्या कारण हैं और इन कर्मचारियों को पुनः सेवा में कब तक रखा जायेगा ; और

(घ) इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान और चयन ग्रेड न दिए जाने के क्या कारण हैं और उक्त वेतनमानों के कब तक दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, नहीं सरकार को इस प्रकार की जांच की कोई जानकारी नही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विश्वविद्यालय से यह पता चला है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंध मण्डल द्वारा गठित "बजट समीक्षा समिति" ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान संबंधी सहायता के अन्दर ही अपने खर्च सीमित करने के लिए उपयुक्त आर्थिक उपाय अपनाने होंगे ।

इस सिफारिश को मानते हुए विश्वविद्यालय ने बचत के कई उपाय अपनाए हैं जिनमें दैनिक मजदूरों की संख्या में कमी करना भी शामिल है । इस अवस्था में उनकी बहाली का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस विश्वविद्यालय के अध्यापक पहले से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1973 के वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमानों का संबंध है, भारत सरकार पहले से ही अतिरिक्त खर्च का 80 प्रतिशत भाग वहन करने को तैयार है और उसने इस निर्णय के बारे में राज्य सरकार तथा कृषि विश्वविद्यालयों को सूचित भी कर दिया है । अब इस मामले में अंतिम निर्णय लेना उत्तर प्रदेश सरकार पर निर्भर है ।

2741. [*Transferred to the 5th December, 1988*]

2742. [*Transferred to the 1st December, 1988*]

2743. [*Transferred to the 1st December, 1988*]

2744. [*Transferred to the 1st December, 1988*]

Wakf (Amendment) Act, 1984.

2745. SHRI RAOOF VALLIULLAH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government appointed a high power Committee to look into various aspects of the Wakf (Amendment) Act, 1984, if so, when the Committee submitted its report and what were its major recommendations;

(b) whether Government have accepted those recommendations and propose to introduce fresh legislation to make necessary modifications to the amended Act; and

(c) whether Government have consulted various organisations and experts; if so, the details thereof and whether their suggestions will be also incorporated?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI): (a) Yes, Sir. It submitted its report in February 1987 which is treated as confidential.

(b) and (c) The recommendations of the Committee and the advice of organisations and experts continue to be under active consideration of the Government.